

ANE-1A

संख्या: 7444/15-1-101701/2001

प्रैक,

श्री. राय कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Handwritten mark

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, सहाय्य केंद्र,
प्रौद्योगिकी विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 178 अनुभाग

लक्ष्य: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2001


विषय:-

उक्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक शिक्षा केंद्र-2, सहाय्य केंद्र, प्रौद्योगिकी विहार, नई दिल्ली में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की जांच के संबंध में।


संदर्भ:-

उक्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक शिक्षा केंद्र-2, सहाय्य केंद्र, प्रौद्योगिकी विहार, नई दिल्ली में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की जांच के संबंध में।

- 11] विद्यालय की पंजीकृत संसाधनों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 12] विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 13] विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवर्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 14] संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैश्विक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समझाए जायेंगे।



Dr. MARY THOMAS
PRINCIPAL
SOMERVILLE SCHOOL
BLOCK-H, SECTOR ALPHA-II
Greater Noida



NOC FROM UP GOVERNMENT

- 15] संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य प्तिनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16] कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उ०म० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

राम कुमार
विशेष सचिव ।

पृ० सं०- ~~11/11/2011-2011-2012~~

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- फाइलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~...~~
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~...~~
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।


~~...~~

Mary Thomas



Mary Thomas

Dr. MARY THOMAS
PRINCIPAL
SOMERVILLE SCHOOL
BLOCK-H, SECTOR ALPHA-II
GREATER NOIDA



अखिलेश चन्द्र मुन्त
अनु सचिव ।